प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने की आर.पी.ए. में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा

- प्रशिक्षु आर.पी.एस. के 55वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित
- अपराध के बदलते स्वरूप में पुलिस रहे सजग एवं अपडेट : भजनलाल शर्मा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस में प्रशिक्षण से कानून की जानकारी के साथ ही आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि यही बुनियादी प्रशिक्षण पुलिस के चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देकर उन्हें एक आदर्श अधिकारी बनाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आगामी समय में इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शर्मा शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवा (प्रशिक्षु) के 55वें बैच के प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षान्त परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आर.पी.एस. के 55वें बैच के दीक्षान्त समारोह में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली।

उन्होंने बैच के 76 प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत, लगन और कड़ी तपस्या से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर पुलिस कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा की। इससे साइबर अपराध, आर्थिक मामलों से सम्बन्धित अपराध इत्यादि के सम्बन्ध में पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आज के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में 20 महिला अधिकारी शामिल होना अत्यंत गर्व की बात है। महिला पुलिस अधिकारी से महिलाएं अपनी समस्याएं बेझिझक बताती हैं। ये महिला अधिकारी न केवल पुलिस बल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत भी हैं।

शर्मा ने कहा कि वर्तमान में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध और डिजिटल युग की नई-नई चुनौतियों से लड़ने के लिए पुलिस को निरंतर सजग, अपडेट और प्रशिक्षित रहना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए पारंपरिक पुलिसिंग के साथ ही तकनीकी कुशलता, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक की समझ भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए ईमानदारी सबसे शक्तिशाली हथियार है। पुलिस को किसी भी तरह के दबाव में ना आकर सदैव धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। उन्होंने पुलिस के लिए टीम वर्क पर जोर देते हुए कहा कि पुलिसिंग एक टीम का काम है। जब हम साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपसी भाईचारा और विश्वास से ही हम प्रत्येक चुनौती का आसानी से सामना कर सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक अपराधों में 19.45 प्रतिशत की कमी आई है। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामलों में 18.77 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार के मामलों में भी 9.24 प्रतिशत की कमी आई है।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद रख न्याय व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर तकनीकी नवाचार, त्वरित अनुसंधान एवं कार्यकुशलता का उन्नयन किया जा रहा है। शर्मा ने इस अवसर पर राजस्थान पुलिस सेवा (प्रशिक्षु) के 55वें बैच के उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को पुरुस्कृत किया तथा सामूहिक फोटो खिंचवाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया तथा परेड की सलामी ली। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत तथा निदेशक आरपीए एस. सेंगाथिर सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देबाशीष पृष्टि ने किया हाऊसिंग बोर्ड के शिविर का निरीक्षण

प्रमुख शासन सचिव ने शहरी सेवा शिविर में आमजन से लिया फीडबैक

जयपुर (कासं)। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं आवासन मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत शुक्रवार को आवासन मण्डल के वृत-तृतीय, जयपुर कार्यालय में संचालित शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिविर में आ रहे आमजन के लिए माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए साथ ही आमजन के साथ संवाद करते हुए फीडबैक भी लिया। शिविर में आए हुए कई लाभार्थियों ने व्यवस्थाओं को सराहा तथा समस्याओं के तत्काल निस्तारण पर राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया। मण्डल अध्यक्ष द्वारा आवंटियों को त्वरित राहत प्रदान करने के विभिन्न कार्यों का एवं मण्डल द्वारा जारी किये जा रहे प्रपत्रों का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान पृष्टि ने शिविर में लाभान्वित विभिन्न आवंटियों को अदेय प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रपत्र इत्यादि वितरित किये गये।

आवासन एवं नगरीय विकास के प्रमुख शासन सचिव एवं आवासन मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने शुक्रवार को आवासन मण्डल के वृत-तृतीय, जयपुर कार्यालय में संचालित शिविर का निरीक्षण किया।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया की मण्डल द्वारा आयोजित शिविरों में अब तक कुल 316 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष प्रकरणों का निस्तारण भी जल्द से जल्द करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है । राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शिविरों में आवासीय योजनाओं, भवन निर्माण अनुमति, लीज़ कन्वर्ज़न, नामान्तरण, बकाया निस्तारण सहित अन्य सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान हाथों हाथ किया जा रहा है । निरीक्षण के दौरान सचिव गोपाल सिंह, मुख्य अभियंता प्रथम अमित अग्रवाल, प्रतीक श्रीवास्तव सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे ।

बिजली कंपनी के इंजीनियरों को नगरीय विकास विभाग में नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

- मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने बताया कि प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों ने जे.ई.एन. की भर्ती की थी, परंतु बाद में इन इंजीनियरों को यूडीएच में भेज दिया गया। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम व आरएपीएसएआर एक्ट का उल्लंघन हैं।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बिजली कंपनी के इंजीनियरों को नगरीय विकास विभाग में नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने यूडीएच सचिव व पांच बिजली कंपनियों के एम.डी. और अफसरों से जबाव देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि बिजली कंपनियों के इंजीनियरों को यूडीएच में नियुक्ति क्यों दी गई है। जस्टिस एसपी शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश पब्लिक अंगेंस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने बताया कि प्रदेश की पांच बिजली कंपनियों ने जेईएन की भर्ती की थी। लेकिन बाद में इन इंजीनियरों को यूडीएच विभाग में भेज दिया। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहीं ये नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम व आरएपीएसएआर एक्ट का उल्लंघन है। केवल सरप्लस होने पर ही एक निगम से दूसरे निगम में नियुक्ति का नियम है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान,नियम या एक्ट नहीं है जिसमें किसी निगम या बोर्ड से सीधे ही सरकार में नियुक्ति दी जा सके। वहीं नगरीय विकास विभाग में इनकी नियुक्ति में जिन नियमों का उल्लेख किया है उनके अनुसार इनको यूडीएच में समाहित नहीं कर सकते। ऐसे में ये नियुक्तियां पिछले दरवाजे से दी हैं और इनमें नियमों का पालन नहीं किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा और राज्य सरकार से पूछा है कि इन अफसरों को किन नियमों से बिजली कंपनी से यूडीएच में समाहित किया गया है।

टैक्स चोरी पर ट्रांसपोर्टर्स के 6 गोदाम सील, 17 वाहन जब्त

जयपुर । राज्य के मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में प्रवर्तन शाखा की 9 टीमों को गोपनीय रूप से राज्य के विभिन्न राजमार्गों पर तैनात किया गया। जहाँ से टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा बिना ई वे बिल और बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहनित करने वाले 17 वाहनो को जब्त किया गया है। गत सोमवार को जयपुर के 6 प्रमुख ट्रांसपोर्ट कंपनियो के गोदामों में एक साथ कार्यवाही कर बड़ी कर चोरी उजागर की है। गिल संधु ट्रांसपोर्ट, जड़िया ट्रांसपोर्ट, क्रियाशक्ति, सुनील ट्रांसपोर्ट और पीसीएम कार्गो के ये गोदाम जयपुर के वी.के.आई एरिया तथा ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित है। इन गोदामो से भारी मात्र में रेडीमेड, ड्राई फ्रूट, इलेक्ट्रिक्ट आईटम आदि के 1 हजार 960 नग जब्त किए है। जिनका आरंभिक आकलन किए जाने पर इनका बाज़ार मूल्य करोड़ो रूपये पाया गया है। यह माल राज्य के बाहर से बिना कर चुकाए राज्य में लाया जा रहा था।

राजेश्वर सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया

जयपुर (कासं)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं पूर्व राजस्व मण्डल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। सिंह के राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचने पर आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नलिनी कठोतिया एवं अन्य अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया ।

इस अवसर पर राजेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य में पंचौयती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनाव संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों एवम विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में पूर्णतया वैधानिकता,निष्पक्षता, तटस्थता,त्रुटिहीनता एवं पारदर्शिता के आधार पर संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी आयोग की मंशा के अनुरूप पूर्ण निष्पक्षता व तटस्थता का परिचय देंगे तथा वैधानिक प्रवधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी ।

उल्लेखनीय है कि राजेश्वर सिंह को जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर एवं जयपुर तथा संभागीय आयुक्त, उदयपुर, भरतपुर व जयपुर के रूप में चुनाव कार्य के प्रबन्धन व पर्यवेक्षण का विस्तृत एवं व्यापक अनुभव है । इसके अलावा वे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा महा निदेशक,इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के रूप में पंचायती राज प्रशासन एवं प्रशिक्षण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं।

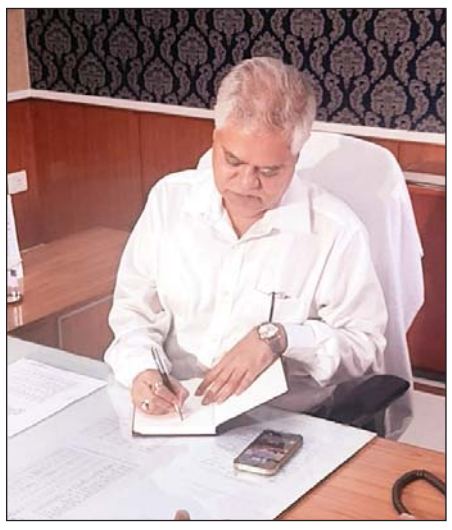

राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह

रिलायंस रिटेल मार्ट पर 100 किलो एक्सपायरी सामग्री जब्त

जयपुर । सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने प्रताप नगर स्थित मैसर्स रिलायंस रिटेल स्टोर से लगभग 100 किलो अवधिपार खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट करवाई है। यह कार्रवाई शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हुई।

।। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।।

22वाँ पुण्य स्मरण

शत-शत नमन एवं श्रद्धांजलि

इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित

महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड टेक्नोलॉजी, जयपुर

के

पथ प्रदर्शक

सीय राममय सब जग जानी

करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी

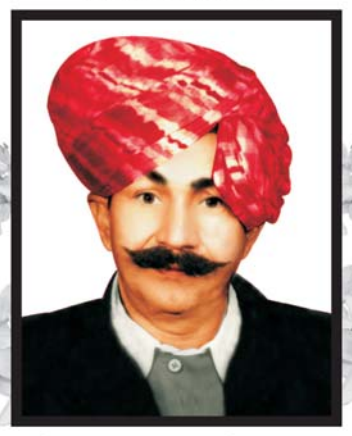

(20 सितम्बर 1920 - 20 सितम्बर 2003)

परम श्रद्धेय श्री रामजीलाल जी स्वर्णकार (मासलपुर वाले)

उनकी पुनीत स्मृति में आज शनिवार, 20 सितम्बर 2025 सायँ 6.30 बजे

अभिषेक नारायण कृत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिन्दी नाटक **कर्ण**

प्रस्तुति का LIVE प्रसारण देखने हेतु QR Code को Scan करें

QR Code

-: श्रद्धावनत :-

शांति देवी, डॉ. मोहन लाल-मीना, गोविन्द-कमलेश, रामरटन-नीलम (पुत्र एवं पुत्रवधु), वीरेन्द्र-बेबी, डॉ. रविकान्त-पूजा डॉ. विकास-हरमन, डॉ. शोभित-जयाश्री, डॉ. दिलीप-सोनिया, डॉ. मनु-महिमा, लीलाधर-ऋषिका (पौत्र एवं पौत्रवधु) व श्रीधर (पौत्र) केशव, श्रीकान्त, माधव, युवराज, वासुदेव, जतिन (प्रपौत्र), वैदेही, गौरी, माही, नव्याश्री, रुक्मिणी, कात्यायनी, जाह्नवी (प्रपौत्री) विद्या-गोपाल सोनी, शंकुतला-अशोक सोनी, सन्तोष-प्रेम सोनी, सती देवी-अशोक सोनी (पुत्रियां एवं दामाद) तथा समस्त स्वर्णकार परिवार

डॉ. एम. एल. स्वर्णकार, MD, PhD (hc)

Founder and Emeritus Chairperson

Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology (MGUMST), Jaipur

Senior Professor of Obstetrics & Gynaecology, Specialist in Reproductive Medicine & IVF

Patron : Jaipur Fertility Centre, Banipark and Sahkar Marg Centre, Jaipur

पुत्र से जुड़े मामले में उडीसा के पूर्व डीजी विद्याभूषण मोहंती दोष मुक्त

जयपुर (कासं)। सेन्ट्रल जेल जयपुर में सजायाप्ता पुत्र को 18 साल पहले 20 नवम्बर, 2006 को पैरोल पर छुड़ाने के बाद फरार कराने तथा पकड़ने गई वैशाली नगर-जयपुर पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-04, मेट्रो-द्वितीय ने आरोपी रहे उडीसा के पूर्व महा निदेशक होमगार्ड 75 वर्षीय विद्याभूषण मोहंती को दोषमुक्त कर दिया है। इस संबंध में तत्कालीन कार्यवाहक जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने लाल कोठी पुलिस थाने में 10 जनवरी, 2007 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। अनुसंधान पुलिस ने पूर्व आईपीएस विद्याभूषण मोहंती के खिलाफ अदालत ने 23 जनवरी, 2008 को चार्जशीट पेश की थी। विद्या भूषण मोहंती की ओर से अदालत को बताया कि वह निर्दोष हैं। मामले में झूठा फंसाया गया हैं। पुत्र के पकड़े जाने, गिरफ्तार करने में कोई अड़चन व बाधा नहीं डाली और ना ही आश्रय दिया। बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि परिवादिया जेल अधीक्षक की ओर से पेश की रिपोर्ट की अन्य गवाहों ने ताईद नहीं की हैं। पुत्र को पैरोल पर छुड़ाकर फरार कराने के गलत आरोप लगाए हैं। अभियोजन पक्ष मामले में संलिप्त होने की लेशमात्र भी साक्ष्य पेश नहीं की हैं। ऐसे में दोषमुक्त घोषित किया जाए। गौरतलब है कि पूर्व डीजी होमगार्ड विद्याभूषण मोहंती के पुत्र को बीटीहोत्रा मोहंती को 2004 में अलवर में हुए दुष्कर्म के अपराध में 07 साल की सजा हुई थी और जयपुर जेल में बंद था। आरोपी पुत्र को मां की गंभीर बीमारी पर 20 नवम्बर, 2006 को आपात पैरोल पर छोड़ा गया था।